प्रेस नोट

दिनांकः- 13.11.2020

डॉ0 विपिन ताडा, पुलिस अधिक्षक, जनपद अमरोहा के निर्देशन मे आज दिनांक- 13.11.2020 को जनपद मे अपराधियो के विरूद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद मे शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरणः-

- थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा अभियुक्त सतपाल पुत्र बलदेव निवासी मेहंदीपुर थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा को मय 40 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना मंडी धनौरा पर अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
- थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा नौकरी लगवाने के नाम पर 14 लाख रूपये गबन करने व जाना से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे पंजीकृत अभियोग मे वाँछित अभियुक्त नन्हे पुत्र रमेश निवासी ग्राम गुलडिया थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।
- थाना गजरौला पुलिस द्वारा बलवा कर मारपीट करने व महिला के साथ छेडछाड करने व एससी/एसटी एक्ट के सम्बन्ध मे पंजीकृत अभियोग मे वाँछित अभियुक्त 1. कुलदीप पुत्र गेंदा सिंह निवासी आपार्टमेन्ट सेक्टर 11 कस्बा व थाना भिवाडी जिला अलवर, राजस्थान 2. विपिन पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी ग्राम मोहसनपुर चमर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।
- जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 13 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द0प्र0सं0 में किया गया। जिसमें थाना नौगावां सादात पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति, थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा 03 व्यक्ति, थाना गजरौला पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति, थाना बछरायुँ पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति, थाना हसनपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना सैदनगली पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति व थाना रहरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्तियों का धारा 151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया गया।